

अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्श्विक प्रवेश) – 2019

Engineering Entrance Competitive Examination
(Lateral Entry) - 2019



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पण्ड

महत्वपूर्ण तिथियाँ	
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	15-04-2019
ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया समाप्ति की तिथि	15-05-2019
परीक्षा की तिथि	02-06-2019

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची

Inquiry No.: 9264473893/9264473891

Board's Website :- <http://jceceb.jharkhand.gov.in>

विषय सूची विवरण

<u>क्रम सं.</u>		<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	परिचय	3
2.	संस्थान	3
3.	संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी	3
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	3
5.	आवासीय अहर्ता	4
6.	शारीरिक योग्यता	4
7.	आयु सीमा	4
8.	संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क	4
9.	आरक्षण	4 – 5
10.	अभियंत्रण पाठ्यक्रम (पार्ष्विक प्रवेश) प्रवेश प्र. परीक्षा – 2019 के प्रश्न पत्रों के प्रकार	5
11.	अभियंत्रण पाठ्यक्रम (पार्ष्विक प्रवेश) प्रवेश प्र. परीक्षा – 2019	5
12.	परीक्षा केन्द्र	5
13.	आवेदन करने का तरीका	5
14.	आवेदन शुल्क	5 – 6
15.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश	6
16.	प्रवेश पत्र	6
17.	मेधा सूची का निर्माण	6
18.	पुर्नमूल्यांकन एवं पुर्नयोग	6
19.	प्रथम साक्षात्कार	6
20.	द्वतीय साक्षात्कार	6
21.	साक्षात्कार संबंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण-पत्रों की जानकारी हेतु कंडिका 27 एवं 28 देखें	6
22.	संस्थान परिवर्तन	7
23.	साक्षात्कार शुल्क	7
24.	संस्थान/शाखा/सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन राशि	7
25.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ	7
26.	साक्षात्कार/नामांकन के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ	8
	Parallel Branches of Diploma Courses in Degree Courses	9
	आवेदन पत्र भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश	10–11
	अनुसूची – क: झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान	12 – 13
	अनुसूची – ख: स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप	14
	अनुसूची – ग: जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST का प्रारूप)	15–16
	अनुसूची – घ : जाति प्रमाण-पत्र (BC- I/ BC- II का प्रारूप)	17–18
	अनुसूची – ड.: Income & Assets Certificate for Economically Weaker Sections (EWS का प्रारूप)	19

Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2019

मार्ग-निर्देशिका/ Prospectus

1. परिचय : झारखंड राज्य स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी स्नातक अभियंत्रण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में नामांकन, अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (Lateral Entry) – 2019 के परीक्षाफल से तैयार की गयी मेधा सूची से मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद द्वारा आयोजित करायी जायेगी।

2. संस्थान : इसके अन्तर्गत सरकारी, गैर-सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित अभियंत्रण संस्थानों के अभियंत्रण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के शाखाएँ सम्मिलित हैं।

3. संस्थानों/शाखाओं/उपलब्ध सीटों की जानकारी : सभी संस्थानों के अभियंत्रण स्नातक पाठ्यक्रम अन्तर्गत शाखावार एवं कोटिवार सीटों की उपलब्धता पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखी जा सकती है। उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक त0शि0प्र0विविध-17/17-82 दिनांक 29.01.2019 के आलोक में संस्थानों के कुल स्वीकृत सीटों के 10% सीटों पर नामांकन लैटरल इण्ट्री के तहत लिया जायेगा।

यह शैक्षणिक सत्र 2018-19 के आधार पर आधारित है जिसमें उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राँची के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन होने की स्थिति में अद्यतन सीटों की जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

4. प्रवेश हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :

(a) Passed Diploma examination from an AICTE approved Institution; with at least 45% marks (40% in case of

candidates belonging to reserved category) in appropriate branch of Engineering/Technology.

(b) Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) and passed XII standard with mathematics as subject.

(c) Provided that the students belonging to B.Sc. Stream, shall clear the subjects Engineering Graphics/ Engineering Drawing and Engineering Mechanics of the first year subjects.

(d) Provided that the students belonging to B.Sc. Stream shall be considered only after filling the supernumerary seats in this category with students belonging to the Diploma.

(2) अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन-पत्र भर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार की तिथि के पूर्व तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नामांकन के योग्य नहीं समझे जायेंगे।

(3) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने वैसे शाखा में डिप्लोमा किया है, जिसके समानान्तर स्नातक अभियंत्रण शाखा उपलब्ध नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को सीट आबंटित नहीं किया जायेगा।

5. आवासीय अर्हता : प्रवेश परीक्षा में वे ही आवेदक भाग ले सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा झारखंड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्यभाषा विभाग ने संकल्प ज्ञापांक 7/आ0नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का. - 3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नीति निर्धारित की गई है। सुलभ संकेत हेतु अधिसूचना की प्रति इस मार्ग-निर्देशिका के साथ अनुसूची-‘क’ में दी गई है तथा इसे पर्वद के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

अभ्यर्थी को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी (झारखण्ड राज्य के अनुमंडल पदाधिकारी-असैनिक या उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। “स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र” का प्रपत्र अनुसूची - ‘ख’ में देखा जा सकता है।

6. **शारीरिक योग्यता** : संस्थान में नामांकन के समय अनुशंसित अभ्यर्थियों को निबंधित चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। अयोग्य होने की स्थिति में, नामांकन नहीं किया जाएगा।

7. **आयु सीमा** : स्नातक अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

8. **संस्थान में नामांकन हेतु शुल्क** : नामांकन शुल्क की राशि के संबंध में जानकारी साक्षात्कार के समय दी जायेगी।

9. **आरक्षण** :

9.1 **जाति आधारित आरक्षण** : संस्थानों में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षण हेतु प्रत्येक संस्थान को एक यूनिट माना जायेगा।

परन्तु आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार/नामांकन के समय पत्रांक- 14/जा0नि0-03-13/2015/ का0 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में ही सक्षम पदाधिकारी [झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त] द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में

प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत [झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर] जाति प्रमाण-पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनके आरक्षण का दावा को रद्द कर दिया जायेगा एवं उन्हें अनारक्षित कोटि की मान्यता दी जायेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को का0प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 14/जा0नि0-03-13/2015/ का0 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में “क्रीमी लेयर” रहित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रपत्र <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखा जा सकता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

जाति प्रमाण-पत्र का विहित प्रपत्र अनुसूची-‘ग’ एवं अनुसूची-‘घ’ में देखा जा सकता है।

नोट : आरक्षण के दावे के संबंध में अपने कोटि के बारे में संतुष्ट हो लें। यदि कोई संशय हो तो अंचल/अनुमंडल कार्यालय से सम्पर्क कर लें या पर्वद के वेबसाइट पर सम्पर्क करें। जहाँ आरक्षित कोटियों में निहित जातियों की विवरणी उपलब्ध है।

9.3 **शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण** : संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं। जिसकी विवरणी पर्वद के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग का अभिप्राय होगा जैसे उम्मीदवार जो मूक या बधिर, अंधापन या शारिरिक विकलांग या सभी साथ हो तथा जिनके शरीर का निचला हिस्सा एवं ऊपरी हिस्सा या दोनों मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को एक पूर्ण आकार का अपना फोटो देना होगा तथा जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय

प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में सिर्फ अपना विकलांगता के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें।

10. अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) – 2019 के प्रश्न पत्रों के प्रकार : प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार और बहु-विकल्प प्रकृति के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देय होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जायेगी। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसकी गणना गलत उत्तर के रूप में की जायेगी एवं तदनुसार अंकों की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र के विषय, परीक्षा की अवधि, परीक्षा का स्तर इत्यादि निम्नलिखित है :

परीक्षा की अवधि-2 घंटे 30 मिनट
(अपराहन 10.00 बजे से 12.30 बजे अपराहन तक)

प्रश्न-पत्र के विषय	पूर्णांक	परीक्षा का स्तर	परीक्षा की तिथि
अभियंत्रण भौतिकी	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	02.06.2019
अभियंत्रण रसायन शास्त्र	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	
अभियंत्रण गणित	50	डिप्लोमा (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर)	

नोट : किसी अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा की तिथि में झारखंड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद द्वारा फेर-बदल किया जा सकता है।

11. अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (पार्ष्विक प्रवेश) – 2019 एक चरण में आयोजित की जायेगी।

12. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा राँची शहर स्थित परीक्षा केन्द्रों में होगी

13. आवेदन करने का तरीका: आवेदक को ऑनलाईन तरीके से आवेदन करना है।

पर्वद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> online

"Application for Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry)-2019" पर Click कर दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं स्कैन किया हुआ अंगूठे का निशान तैयार रखें। किसी भी अनिवार्य कण्डिका को खाली नहीं छोड़ें। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट पर्वद कार्यालय को नहीं भेजना है। उसकी तीन-चार प्रिंट आउट रख लें, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।

14. आवेदन शुल्क : सामान्य/EWS/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों को ₹ 900/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के आवेदकों एवं सभी कोटि के महिला आवेदकों को ₹ 450/- आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क जमा करने का तरीका :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सारी जानकारियाँ समर्पित करने के उपरान्त परीक्षा शुल्क, पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग की सुविधा दी जायेगी।

15. आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश : आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व मार्गनिर्देशिका को भली-भाँति पढ़ लें। गलत या अपूर्ण सूचना देने पर आवेदन को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाद में नहीं किया जायेगा। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए तथा चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ संपादित (Edited)

नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

16. **प्रवेश पत्र** : निर्धारित तिथि तक प्राप्त, पूर्ण रूप से भरे हुए, आवेदन-पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे तथा परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन डाउनलोड करने का विकल्प दिया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का नाम, स्कैन फोटोग्राफ, जन्मतिथि, लिंग, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र, पता, अनुक्रमांक एवं उनका आरक्षण कोटि दर्ज रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि के चार (4) दिन पूर्व वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रवेश-पत्र नहीं मिलने या फोटो/लिंग/कोटि में त्रुटि संशोधन हेतु पर्षद द्वारा परीक्षा से संबंधित जारी विज्ञापन जरूर देखें तथा उसमें दिये गये निर्देशों का पालन करें।

17. **मेधा सूची का निर्माण** : अभियंत्रण स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संबंधित समूहों की संयुक्त मेधा सूची के साथ-साथ कोटि-वार मेधा सूचियों का निर्माण किया जायेगा। सीटों का आबंटन मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर संबंधित शाखा में किया जायेगा।

डिप्लोमा से डिग्री प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2019 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा। इस प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उनका मेधा क्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :

क्रम सं०	स्थिति	मेधा क्रम का निर्धारण
1.	प्राप्तांकों के जोड़ समान होने पर	अभियंत्रण गणित में प्राप्तांक के अनुसार
2.	क्रम सं. – 1 समान होने पर	अभियंत्रण भौतिकी में प्राप्तांक के अनुसार

3.	क्रम सं. 1 एवं 2 समान होने पर	जिनकी जन्म तिथि पहले हो
4.	क्रम सं. – 1, 2 एवं 3 समान होने पर	प्रथम नाम के अँग्रेजी वर्णाक्रमानुसार

18. **पुनर्मुल्यांकन एवं पुनर्योग** : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मुल्यांकन, दुबारा जोड़ आदि का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जायेगा।

19. **प्रथम साक्षात्कार** : प्रथम साक्षात्कार के संबंध में अद्यतन जानकारी झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ-साथ पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

20. **द्वितीय साक्षात्कार** : प्रथम साक्षात्कार के उपरांत यदि संस्थानों में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो द्वितीय साक्षात्कार, उपर्युक्त की ही भांति, आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में वैसे अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जो प्रथम साक्षात्कार के माध्यम से अनुशंसित संस्थानों में या तो नामांकन ले चुके हैं या फिर शाखा/संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं। इसकी सूचना झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

21. **साक्षात्कार सम्बंधी सभी नियमों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की जानकारी हेतु कंडिका 27 एवं 28 देखें।**

22. **संस्थान परिवर्तन**: इस तरह के सभी मामलों पर पर्षद की ओर से परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

“नामांकन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद संस्थान एवं शाखा परिवर्तन संबंधी किसी भी आवेदन पर संबंधित संस्थानों के मुख्य द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा नियंत्रक के निर्णय के प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।”

23. साक्षात्कार शुल्क : इस संबंध में विस्तृत जानकारी साक्षात्कार संबंधी विज्ञापन में दी जायेगी।

24. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

24.1 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का समानान्तर स्नातक पाठ्यक्रम पर्सद के वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Downloads कॉलम पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

24.2 परीक्षा संबंधी सभी कार्यों का संचालन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद की ओर से परीक्षा नियंत्रक करेगें एवं उनके द्वारा लिया गया सभी निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होंगें।

25.3 परीक्षा एवं साक्षात्कार संबंधी अद्यतन जानकारी हेतु पर्सद के वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के सम्पर्क में रहे।

24.4 इस मार्ग निर्देशिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान से सीधे पत्राचार करें।

24.5 झारखण्ड सरकार/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद को इस मार्ग-निर्देशिका में सन्निहित नियमों/ प्रावधानों/सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा/या पर्सद के वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

24.6 अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रतियोगिता परीक्षा का वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अतः प्रवेश पत्र को संभाल कर रखें।

24.7 यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी, पहचान इत्यादि किसी भी समय असत्य पाया गया तो उनकी अभ्यर्थीत्व तुरंत निरस्त कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के

तहत कार्रवाई की जायेगी जिसमें कारावास तक का भी प्रावधान है।

24.8 कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद के अंतिम निर्णय होने तक अभ्यर्थी को नामांकन से वंचित रखा जायगा।

24.9 इस प्रतियोगिता परीक्षा के प्रक्रिया/आवेदन/आवंटन या अन्य किसी प्रकार के दावे से संबंधित विवाद केवल माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/राँची व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्दर ही दायर किए जाएगें और वे ही मान्य होंगें।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद के परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगें जिनके माध्यम से पर्सद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्सद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगें।

24.10 साक्षात्कार/नामांकन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को निम्नांकित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा उनकी एक-एक छाया-प्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार/नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी एक भी वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार को संस्थान/शाखा/सीट आवंटन से वंचित कर दिया जायगा। साक्षात्कार के समय सिर्फ Xerox Copy या Fax Copy उपलब्ध कराने पर उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।

1. माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र (मूल या औपबंधिक)।

2. डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।

3. झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।

4. झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (सिविल)/उपायुक्त द्वारा विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

5. जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र तथा एक फुल साईज (पूरे शरीर का) फोटोग्राफ (विकलांग कोटा का लाभ लेने की स्थिति में)

6. एक (1) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (आवेदन-पत्र भरने के समय चिपकाये गये फोटोग्राफ के निगेटिव से ही बना हुआ)।

7. अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) -2019 का प्रवेश पत्र। (यदि प्रवेश-पत्र गुम हो गया है तो सनहा की प्रति)

8. साक्षात्कार पत्र, (यदि पर्षद द्वारा प्रेषित किया गया हो तो)

25. साक्षात्कार के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचनाएँ

25.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त ही, अपने दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, संबंधित अंचल/ अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त कर लें।

25.2 साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसे नामांकन के समय, संबंधित संस्थान में जमा करना अनिवार्य है।

25.3 साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करते हैं तथा बाद में साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस समय उपलब्ध सीटों/संस्थानों से ही उनको सीट/संस्थान का चयन करना होगा।

25.4 अगर कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी वांछित/निर्धारित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं अथवा अपनी पहचान स्थापित नहीं करते हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये

जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

25.5 साक्षात्कार, संबंधित समूहों की संयुक्त मेधा सूची के अनुसार आयोजित की जायेगी। आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II/EWS के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए उपलब्ध सीटों/संस्थानों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

25.6 सीट एवं संस्थान आवंटन के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों, उनका हस्ताक्षर तथा पहचान की छान-बीन की जायेगी। जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भा.द.वि. की योग्य धाराओं के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही साथ पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

25.7 अभ्यर्थी को सीट आवंटन के उपरान्त निर्धारित तिथि तक नामांकन लेना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जाएगा।

25.8 साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम संख्या पर उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को शाखा एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है। साक्षात्कार हेतु प्रकाशित किए जाने वाले मेधा सूची में अन्तर्निहित अभ्यर्थियों के नामांकन की गारंटी नहीं है। प्रत्येक कोटि में, उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

25.9 नामांकन के समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा Anti Ragging के सम्बन्ध में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को अपने-अपने आवंटित संस्थानों में निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य

होगा। शपथ पत्र का प्रारूप पर्षद के वेबसाइट पर परीक्षा नियंत्रक
Downloads कॉलम में उपलब्ध है।



Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2019

Parallel Branches of Diploma Courses in Degree Courses

Sl.	Branches of Diploma Course and Group Code	Respective Branches of Degree Course
1	Civil Engineering , Civil (RT) , E.P.C., Architectural Assistantship [1]	Civil Engineering
2	Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Manufacturing, F.P.P.T., Production Engineering, Tool & Die making [2]	Mechanical Engineering/Production Engineering
3	Electrical Engineering, E.C.E., E.I. & C. E.E.E. [3]	Electrical Engineering/Electrical & Electronics Engineering/ Electronics & Communication Engineering
4	Ceramics Technology, Chemical Engineering [4]	Chemical Engineering
5	Information Technology, C.S.E., Computer Application [5]	Information Technology/Computer Science & Engineering
6	Mining Engineering/Drilling Technology/ Rock Process Technology [6]	Mining Engineering
7	Metallurgical Engineering [7]	Metallurgical Engineering
8	B.Sc. and mathematics as a subject in Class XII (8)	All above Branch

आवेदन भरने हेतु चरणबद्ध निर्देश

आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग-निर्देशिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का कलर फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान तैयार रखें।

पर्षद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Online Application for Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2019" link पर Click करें।

Online आवेदन करने हेतु Online Application Process को तीन चरणों में विभक्त किया गया है :-

आवेदन पत्र भरने के पूर्व मार्ग-निर्देशिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन भरते समय न हो। आवेदन करते समय स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं बायें हाथ का अंगुठे का निशान तैयार रखें।

- New Registration
- Application Form Filling & Image Uploading
- Application Fee Payment

प्रथम चरण – New Registration:- अपना नाम, Email Id, Mobile No., Password (Password :- पासवर्ड बनायें एवं अपने बनाये गये पासवर्ड को किसी के साथ साझा (Share) न करें अन्यथा पासवर्ड के दुरुपयोग की जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी) एवं Security Code (दिये गये) को भर कर अपना Registration करें। Registration करने पर आपके Registered Mobile में Registration No. एवं Email Id पर Email Id confirm करने का मेल आता है जिसे कन्फर्म करने पर प्रथम चरण पूर्ण हो जायेगा।

Email ID एवं Password को भविष्य के लिए सुरक्षित लिखकर रख लें। दुबारा Login करने के लिए Email Id एवं Password की आवश्यकता पड़ेगी।

द्वितीय चरण –Application Form Filling :- Applicant Login में Click करें तथा Email Id, Password and Security Code दर्ज करते हुए Login करें तथा उपलब्ध आवेदन पत्र में माँगी गयी जानकारियों को भरें :-

- Personal Details :- जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, (The name of the Applicant and his/her Father's & Mother's name in the Application form must exactly be the same as registered in class 10th/equivalent qualifying Examination. No prefix/title such as Mr/Shri/Fr/Dr/Mrs/Smt/Col etc should be used.) लिंग, जन्मतिथि, Mobile No., Aadhaar Number, Father's/Mother's Occupation, Annual Family Income, of First

Examination Centre City, Second Examination Centre City चुनें/दर्ज करें।

- **Reservation Detail-** Is Permanen/Local Resident of Jharkhand State, कोटि, Person with disability (PwD), आदि भरना होगा। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत यदि आदिम जनजाति समूह में आते हों तो, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अपना आदिम जनजाति समूह में से अपना उप-जाति चुनना आवश्यक है।
- **Qualification details :-** Qualification Details भरना है, जैसे Exam, Board/Institute Name, Roll No., Result Status ए Passing Year, Max. Marks, Obtained Marks & Percentage of Marks दर्ज करें।
- **Comunication details :-** अपना Comunication Address भरें।
- **Image Uploading :-** JPG Format में स्कैन किया हुआ हाल का रंगीन फोटोग्राफ (15 KB to 40 KB), JPG Format में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (10 KB to 20 KB) एवं JPG Format में स्कैन किया हुआ बायें हाथ का अंगुठे का निशान (10 KB to 20 KB) Upload करें।

Disclaimer Clause को पढ़ें तथा चेक बॉक्स पर क्लिक करें तथा Save & Continue बटन पर Click करें। अब आपके द्वारा भरा गया आवेदन दिखाई पड़ेगा। अपने भरे गये व्यौरे को पुनः जाँच लें तथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें। यदि आप Edit करना चाहें तो Edit बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Save & Continue पर Click करें। प्रथम् चरण पूर्ण होने पर आपका आवेदन पत्र का Review दिखाई पड़ेगा। अभी भी यदि आप Edit करना चाहें तो Edit बटन पर Click कर Edit कर लें तथा Lock Application पर Click कर अंतिम रूप से अपना आवेदन लॉक करें।

तृतीय चरण :- Application Fee Payment :- Application Fee Payment :- Payment पर Click करें। Payment पर Click करने के उपरान्त Bank Collect का स्क्रीन आयेगा। स्क्रीन पर दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

Successfully भुगतान करने के उपरान्त वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> पर "Online Application for Engineering Entrance Competitive Examination (Lateral Entry) – 2019" link पर Click कर "Applicant login" पर Sign In कर अपना आवेदन पत्र Print कर लें तथा Print out निकाल कर सुरक्षित रख लें। प्राप्त आवेदन पत्र (confirmation page) को पर्सद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसकी उपयोगिता भविष्य में होगी।

.....

अनुसूची - क

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3138

18-04-2016

विषय : "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

- (i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।
- (ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी या उनकी पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

- (iv) भारत सरकार का पदाधिकारी / कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी / पति / संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी / पति / संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।
- (vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-11
प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-11
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची / सरकार के सभी प्रधान सचिव / सरकार के सभी सचिव / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.-3198 / रांची, दिनांक 18-04-11
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची - 'ख'

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या - 14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का 0 4650, दिनांक 02 जून 2016 के आलोक में झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री पता - ग्राम/वार्ड/शहर
पो 0 थाना जिला के
स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या - 3198 दिनांक 18.04.2016 की कंडिका - में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

प्रपत्र-4

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
 पिता पति
 (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर जिला/प्रगंडल
 राज्य/संघशासित प्रदेश झारखंड राज्य में तथा
 अनुसूचित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन
 जाति/उपजाति के सदस्य हैं तथा धर्म का माननेवाले हैं।

2 तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
 झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रगंडल में
 निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का गरी अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है एव अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर सहायक/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक सहायक दंडाधिकारी

ii) अचल अधिकारी

ग. विहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन जगमश पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथारंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिये) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिये) तथा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखंड में रचितियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) के लिये आरक्षण अधिनियम 2001 ।

स्थान
 तिथि

हस्ताक्षर
 पदनाम
 कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - IV

FORM OF CASTE CERTIFICATE TO BE ISSUED TO PERSONS BELONGING TO A SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (In case of married
woman) of Village/ Town District/Division*
of the State/Union Territory belongs to Caste/Sub Caste
under Scheduled Tribes/Schedule Caste which is approved as Scheduled Tribe/Caste for the State of Jharkhand
and professes Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
..... District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This certificate is valid till further orders or till any change made in SC/ST caste list for Jharkhand State.

Note :

- (a) The term 'ordinarily reside' (s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and the place is mentioned on the basis of self-declaration by the applicant.
- (b) The authorities competent to issue the caste certificate are indicated below:
 - (i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Additional Deputy Commissioner /Deputy Collector/1st Class Specially Magistrate/Sub-Divisional Magistrate /Executive Magistrate/ Assistant Collector and Assistant Magistrate
 - (ii) Circle Officer
- (c) Caste/Sub Casts enumerated in Jharkhand Reservation of Vacancies and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act -2001, as amended by the fifth and sixth schedule under section 23 and 24 respectively of Reconstitution of Bihar Act, 2000 the Constitution of (Scheduled Castes) Amendment Order, 1950 and Amendment (Schedule Tribes) Amendment Order, 1950 and Schedule Castes and Schedule Tribes Order (Amendment) Act 2002.

Signature.....

Designation

(with seal of office)

Place

Date

अनुसूची - 'घ'

प्रपत्र - 11

झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नागांकन हेतु आवेदन करने के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि
पिता पति (विवाहित
महिला के मामले में) ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
राज्य/संघशासित प्रदेश जाति के सदस्य है, जो
झारखंड शिक्तियों और पदों के लिये आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा
अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-1 और II)
के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा ये धर्म को माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार
साधारणतया झारखंड राज्य के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल
में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं
प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय डाफन सं 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.), दिनांक 08.09.
1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग के संकल्प सं 3482, दिनांक 10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन
क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय डाफन सं 36012/22/93-स्था (एस.इ.टी.),
दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदक तथा उसकी/उसके
माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत
होने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी
अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) सलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता
स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय के सील सहित

प्रपत्र - XI

**FORM OF NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EXTREMELY BACKWARD CLASSES/
BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO STATE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS UNDER THE GOVERNMENT OF JHARKHAND**

This is to certify that Son/ Daughter of
..... Wife of (in case of married woman)
of Village/ Town..... District/Division* of the
State/Union Territory belongs to the Caste which
is recognized as Backward Class under : Backward Class (Annexure-I/II) of Jharkhand Reservation of Vacancies
and Posts (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act - 2001 *** and professes
..... Religion.

2.* and/or* his/her* family ordinarily reside (s) in Village/Town*
..... District/Division* of the State/Union Territory* of Jharkhand.

3. This is also to certify that he/she does not belong to the Persons/Sections (Creamy layer)
mentioned in Column 3 of the Schedule to the OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 of Department
of Personnel and Training, Government of India as adopted by the Department of Personnel, Administrative
Reforms and Official languages vide Resolution No-3482 dated 10.06.2002.

4. This certificate is issued on the basis of declaration made by applicant and his/her parents in
terms of rule of exclusion enumerated in OM No. 36012/22/93-Esst (SCT) dated 08-09-1993 and is valid for one
year from the date of issue. This certificate will, however, be valid if it is enclosed with current declaration of
being non-creamy layer, for the financial year in which such declaration is made in the form-15 specified for the
purpose

Signature

Designation

(with seal of office)

Place

Date

अनुसूची - 'ड.'

परिशिष्ट-1

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____
son/daughter/wife of _____ permanent resident of
_____ village/Street _____ post Office
_____ District _____ in the State/Union
Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her
'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year
_____. His/her family does not own or possess any of the following
assets***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____
caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-
I/BC-II.

Signature with seal of office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport size
attested Photograph
of the applicant

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.